<u>न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर</u>

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा,आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :-107/2016/भीलवाड़ा (2016/00049)

1. जगदीश चन्द्र पुत्र पन्नालाल, जाति सुवालका, निवासी अमरगढ़, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट

बनाम

1. नन्दू पुत्री एकलिंग,
2. हंजा पुत्री एकलिंग,
3. गुलाबी पुत्री एकलिंग,
4. बदामी पुत्री एकलिंग,
5. श्रीराम उर्फ हरिराम पुत्र एकलिंग (मृतक) जरिये वारिसानः-
   5/1- श्रीमती सोहनी देवी पत्नि श्रीराम उर्फ हरिराम,
   5/2- राजू पुत्र श्रीराम उर्फ हरिराम,
   5/3- मन्जू पुत्री श्रीराम उर्फ हरिराम,
6. सोहन पुत्र एकलिंग,
7. हीरा पुत्र एकलिंग,
   समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम हमीरपुरा-अमरगढ़, तह0 माण्डल, जिला भीलवाडत्रा ।
8. ग्राम पंचायत पीथास तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत, पीथास, तह0 माण्डल जिला भीलवाड़ा ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, माण्डल, जिला भीलवाड़ा ।

रेस्पोर्डेट्स

<u>अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, माण्डल, जिला भीलवाड़ा दिनांक 22.6.2015 अंतर्गत अपील संख्या 11/2014.</u>

<u>उपस्थितः-</u>

1. श्री शौकिन्दलाल गुर्जर, वकील अपीलांट ।
2. श्री एस0पी0 चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 4.
3. रेस्पो0 संख्या 5 से 9 अनुपस्थित ।

<u>निर्णय</u>

दिनांक :- 28.2.2018

अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, माण्डल, जिला भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 22.6.2015 (संक्षेप

में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आराजी संख्या 191 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि ग्राम अमरगढ़, तहसील माण्डल में स्थित है, उक्त विवादित आराजी के तत्कालीन रिकार्डेड खातेदार काश्तकार वर्तमान रेस्पो0 संख्या 5 लगायत 7 के द्वारा एक पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 21.6.2011 से प्रश्नगत आराजी अपीलांट को बैचान कर, भूमि का कब्जा सुपुर्द किया गया । उक्त विक्रय पत्र के आधार पर अपीलांट के पक्ष में राजस्व अभिलेख में इंद्राज दर्ज किया गया । रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 7 द्वारा मिली-भगत कर दुर्भावना पूर्वक उक्त आराजी को हड़पने की गरज से बिना वर्तमान खातेदार अपीलांट को प्रकरण में पक्षकार बनाये रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 द्वारा एकलिंग के विरासती नामांतकरण संख्या 238 दिनांक 26.5.1986 के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल के समक्ष इस आशय की अपील प्रस्तुत की गई कि ग्राम पंचायत पीथास ने नामांतकरण संख्या 238 दिनांक 26.5.1986 को वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 को वंचित कर तस्दीक किया है । उक्त अपील प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी, माण्डल ने निर्णय दिनांक 22.6.2015 को रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 की अपील स्वीकार कर नामांतकरण संख्या 238 दिनांक 26.5.1986 को अपास्त करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंटस के उपस्थित होने एवं अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 की बहस सुनी गई । xx

3- विद्वान अपीलान्ट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट ने विवादित आराजी खसरा संख्या 191 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा को तत्कालीन रिकार्डेड खातेदार काश्तकार वर्तमान रेस्पो0 संख्या 5 लगायत 7 से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 21.6.2011 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था तथा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर अपीलांट का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज इंद्राज किया गया था । विवादित आराजी अपीलांट की खातेदारी आराजी है किन्तु रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने नामांतकरण संख्या 238 दिनांक 26.5.1986 के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल के समक्ष प्रस्तुत अपील में पक्षकार नियुक्त किये बिना एकतरफा में अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.6.2015 पारित कराया है । अधी0न्याया0 के अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.6.2015 से अपीलांट के हक व अधिकार प्रभावित होने से अपीलांट पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार है । अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.6.2015 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

4- विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट विवादित आराजी के खातेदार

काश्तकार है परन्तु इसके बावजूद अपीलांट को बिना पक्षकार नियुक्त किये रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने अपीलाधीन निर्णय पारित कराया है, इस कारण अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.6.2015 की जानकारी नहीं हो सकी थी । निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी तब हुई जब रेस्पो0 द्वारा दिनांक 13.8.2016 विवादित आराजियात में अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि न्यायालय का निर्णय रेस्पो0 के हक में हो गया है । अपीलाधीन निर्णय की जानकारी के पश्चात् अपीलांट ने पटवारी हल्का से संपर्क कर राजस्व अभिलेख की जानकारी कर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन किया तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील प्रस्तुत की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

1- प्रकरण के गुणावगुण पर अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अपीलांट विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है । अपीलांट ने विवादित आराजी रेस्पो0 संख्या 5 लगायत 7 से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 21.6.2011 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था एवं तब से ही अपीलांट विवादित भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है । रेस्पो0 संख्या 1लगायत 7 ने दुरभि संधि कर उक्त विक्रय पत्र के आधार पर विक्रयशुदा आराजी को हड़पने की नियत से वर्तमान अपीलांट को अधी0न्याया0 में नामांतकरण संख्या 238 दिनांक 26.5.1986 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित कराया है जो निरस्तनीय है । अपीलांट विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होने से अधी0न्याया0 के समक्ष विवादित आराजी बाबत् प्रस्तुत प्रकरण में आवश्यक पक्षकार थे किन्तु अधी0न्याया0 ने भी इस तथ्य को नजरअदांज कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 से 4 के हक व अधिकार वाद में तय किये जा सकते है ना कि नामांतकरण की समरी कार्यवाही में । रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 द्वारा अधी0न्याया0 में नामांतकरण संख्या 238 दिनांक 26.5.1986 के विरूद्ध भारी मियाद बाहर अपील पेश की गई थी तथा विलंब के भी समुचित कारण अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किये थे । अधी0न्याया0 के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 से 4 द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बिन्दू पर ही खारिज योग्य थी परन्तु अधी0न्याया0 ने अपील स्वीकार करने में विधिक त्रुटि कारित की है । इस संबंध में विद्वान वकील अपीलांट ने आर0आर0टी0 2007 वोल–2 पेज 788, आर0आर0टी0 2001 वोल–1 पेज 399, आर0आर0टी0 2006 वोल–1 पेज 355, आर0आर0टी0 2007 वोल–1 पेज 559 एवं आर0बी0जे0 2000 पेज 402 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये । xx

2- विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अपीलांट के पक्ष में रेस्पो0 संख्या 5 लगायत 7 द्वारा निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 21.6.2011 को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त

कराये बिना रेस्पो0 संख्या 1 से 4 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है तथा ना ही उक्त विक्रय पत्र के प्रभाव में रहते नामांतकरण संख्या 238 के तहत अपीलांट के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जा सकते है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने अधी0न्याया0 से निर्णय होने के उपरांत रेस्पो0 संख्या 5 लगायत 7 के पक्ष में विवादित आराजियात बाबत् हक त्याग कर दिया तथा उक्त हक त्याग के आधार पर रेस्पो0 संख्या 5 से 7 के नाम नामांतकरण संख्या 1356 दिनांक 26.6.2015 को स्वीकृत हो चुका है इसलिये अब नामांतकरण संख्या 238 के संबंध में अधी0न्याया0 प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है । अधी0न्याया0 ने राजस्व अभिलेख की संपूर्ण जानकारी किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है । इस संबंध में विद्वान वकील अपीलांट ने न्यायिक दृष्टांत 2001 आर0आर0टी0 (1) पेज 15, 2003 आर0आर0टी0 (1) पेज 585 प्रस्तुत किये । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने धारा 80 राजस्थान भू-राजस्व अधि0 1956 की पालना किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । रेस्पो0 संख्या 1 से 4 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे यह साबित हो कि रेस्पो0 संख्या 1 से 4 के विवादित आराजी में हक व अधिकार निहित हो परन्तु इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 संख्या 1 से 4 की अपील स्वीकार करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 22.6.2015 अपास्त किया जावे ।

3- विद्वान वकील रेस्पोडेंटस संख्या 1 से 4 ने धारा 96 जा0दी0 एवं प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 मियाद अधि0 पर बहस करते हुए कथन किया अधी0न्याया0 के समक्ष रेस्पो0 द्वारा नामांतकरण संख्या 238 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई तथा अपीलांट नामांतकरण संख्या 238 में पक्षकार नहीं थे । नामांतकरण संख्या 238 अपास्त होने से अपीलांट को विक्रय पत्र के आधार पर कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है एवं इस कारण अपीलाधीन आदेश से अपीलांट पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार नहीं है एवं बहस में यह भी कथन किया कि अधी0न्याया0 ने विवादास्पद नामांतकरण को अपास्त कर सभी पक्षों को सुना जाकर पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया है । अतः अपीलांट चाहे तो आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 के तहत अधी0न्याया0 में पक्षकार बनकर अपना पक्ष रखने हेतु स्वतंत्र है। । अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 अपास्त कर अपील इसी स्तर पर अपास्त की जावे ।

4- विद्वान वकील रेस्पोडेंटस ने बहस में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 के संबंध में कथन किया कि अपीलांट ने विलंब के संतोषप्रद तथा उचित कारण अंकित नहीं किये है । अतः अपील मियाद बाहर प्रस्तुत किये जाने से अपास्त की जावे ।

5- प्रकरण में गुणावगुण पर विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने जवाब बहस में कथन किया कि विवादित आराजियात के खातेदार एकलिंग गुर्जर थे जिनके विधिक वारिसान में केसर पत्नी, दो पुत्र श्रीराम एवं सोहन तथा पुत्रियां हीरा, नन्दू, हंजा, गुलाबी एवं बदामी है, इनमें से केसर पत्नी एकलिंग फौत हो चुकी है । एकलिंग की मृत्यु उपरांत विवादित आराजियात का विरासत नामांतकरण पुत्र एवं पुत्रियों के नाम समान रूप से खोला जाना चाहिये था किन्तु रेस्पो0 संख्या 5 से 7 ने राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत करके अकेले अपने नाम नामांतकरण संख्या 238 दिनांक 26.5.1986 को स्वीकृत करा लिया जबकि एकलिंग की आराजियात में रेस्पो0 संख्या 1 से 4, जो कि एकलिंग की पुत्रियां होकर प्रथम श्रेणी की वारिस होने से उनका भी बराबर का हक व अधिकार है । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने बहस में आगे कथन किया कि विवादित आराजियात पर रेस्पो0 संख्या 1 से 4 अपने हक हिस्से अनुसार काबिज काश्त है । नामांतकरण संख्या 238 में लिप्त आराजियात में रेस्पो0 संख्या 1 से 4 जो कि एकलिंग की पुत्रियां होकर प्रथम श्रेणी की वारिसान है, को वंचित रख कर पारित किये जाने से उक्त नामांतकरण संख्या 238 प्रारंभ से ही अवैध एवं शून्य है । उक्त अवैध एवं शून्य नामांतकरण की आड़ में रेस्पो0 संख्या 5 से 7 द्वारा अपीलांट के पक्ष में किया गया विक्रय पत्र भी प्रारंभ से अवैध एवं प्रभाव शून्य है तथा अवैध एवं प्रभाव शून्य विक्रय पत्र को निरस्त कराने की आवश्यकता नहीं है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने अधी0न्याया0 के समक्ष नामांतकरण संख्या 238 के विरूद्ध अपील विलंब से प्रस्तुत किये जाने के संबंध में संतोषप्रद एवं उचित कारण अंकित किये है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने नामांतकरण संख्या 238 अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि सभी पक्षों को सुनकर निर्णय पारित करे । अपीलांट ने जो ऐतराज न्यायालय हाजा के समक्ष उठाये है वे तहसीलदार के समक्ष उठा सकते है ।

6- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 की बहस पर मनन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने विवादित आराजी रेस्पो0 संख्या 5 लगायत 7 से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है तथा उक्त पंजीकृत क्रय के आधार पर विवादित भूमि जरिये नामांतकरण संख्या 1075 अपीलांट के नाम दर्ज हो चुकी थी इसलिये विवादित भूमि के संबंध में नामांतकरण संख्या 238 को अपास्त करने से अपीलांट के हक व अधिकार प्रभावित होना प्रमाणित है । अतः अपीलांट अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.6.2015 से पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.

6.2015 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

7- अपीलांट ने धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । चूंकि अपीलांट अधी0न्याया0 में पक्षकार नहीं थे इसलिये उन्हें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी निर्णय दिनांक से होना नहीं माना जा सकता है । अपीलांट ने जानकारी का जो स्रोत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है वह उचित है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8- प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं उभयपक्ष बहस पर मनन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट ने विवादित भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 21.6.2011 को क्रय की थी तथा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर अपीलांट के पक्ष में नामांतकरण संख्या 1075 स्वीकृत किया गया एवं उक्त विक्रय पत्र के आधार पर अपीलांट विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार थे जिन्हें अधी0न्याया0 के समक्ष नामांतकरण संख्या 238 दिनांक 26.5. 1986 के विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 1 से 4 द्वारा प्रस्तुत अपील में सुना जाना आवश्यक था किन्तु अधी0न्याया0 ने विवादित आराजी के संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य यथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड आदि का अवलोकन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अपीलांट सद्भाविक क्रेता होने से नामांतकरण संख्या 238 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में आवश्यक पक्षकार थे तथा जिन्हें सुना जाना न्यायोचित एवं आवश्यक था । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विवादित भूमि के मूल खातेदार एकलिंग थे जिनकी मृत्यु उपरांत ग्राम पंचायत पीथास ने नामांतकरण संख्या 238 श्रीराम, सोहन, हीरा पि0 एकलिंग के नाम दिनांक 26.5.1986 को स्वीकृत किया है । रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने नामांतकरण संख्या 238 के विरूद्ध अधी0न्याया0 के समक्ष इस आधार पर अपील प्रस्तुत की थी कि रेस्पो0 संख्या 1 से 4 एकलिंग की पुत्रियां होकर एकलिंग के प्रथम श्रेणी की वारिसान है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 1956 के अनुसार पुत्रियों का भी मृतक खातेदार पिता की आराजी में बराबर का हक व अधिकार है किन्तु ग्राम पंचायत ने नामांतकरण तस्दीक करते समय पुत्रियों को नजरअंदाज कर मात्र पुत्रों के नाम नामांतकरण स्वीकृत किया है जो हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 में दिये गये प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। इस संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 1956 की धारा 6 का अवलोकन किया गया । हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 1956 की धारा 6 में संशोधन किया जाकर सितम्बर, 2005 के पश्चात् खातेदार पिता के जीवनकाल में पुत्रियों का भी पुत्रों के समान हक व अधिकार बाबत् उक्त अधिनियम में संशोधन प्रावधित किया गया है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मृतक खातेदार की मृत्यु उक्त अधिनियम में संशोधन से पूर्व हो चुकी है । रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने अपीलांट को, जो कि विवादित आराजी के सद्भाविक क्रेता होकर राजस्व

रिकार्ड में खातेदार दर्ज है, को प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद पक्षकार नियुक्त न कर अपीलांट की गैर–मौजूदगी में अपीलाधीन निर्णय पारित करवाया है । दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने नामांतकरण संख्या 1356 दिनांक 26.6.2015 की प्रति पेश की है । नामांतकरण संख्या 1356 के अवलोकन से स्पष्ट है उक्त नामांतकरण रेस्पो0 संख्या 1 से 4 द्वारा रेस्पो0 संख्या 5 लगायत 7 के पक्ष में विवादित भूमि में अपने हिस्से का हक त्याग किये जाने के आधार पर स्वीकृत किया गया है । एक तरफ तो रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने विरासत नामांतकरण संख्या 238 को चुनौती दी है तथा वहीं दूसरी तरफ अधी0न्याया0 के निर्णय दिनांक 22.6.2015 के उपरांत दिनांक 26.6.2015 को रेस्पो0 संख्या 5 लगायत 7 के पक्ष में विवादित भूमि में निहित अपने हिस्से की भूमि का हक त्याग किया है । चूंकि रेस्पो0 संख्या 5 लगायत 7 द्वारा अपीलांट को खाता संख्या 439 के आराजी संख्या 191 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा का जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के बैचान किया गया है तथा रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 द्वारा भी रेस्पो0 संख्या 5 से 7 के पक्ष में हक त्याग करने के उपरांत रेस्पो0 संख्या 1 से 4 का विवादित आराजियात में हक व अधिकार शेष नहीं रह जाता है तथा इसी क्रम में नामांतकरण संख्या 238 दिनांक 26.5.1986 को अपास्त करने का भी कोई औचित्य नहीं रह जाता है। उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 22.6.2015 अपास्त योग्य पाया जाता है।

–ः<u>क्रियात्मक आदेश</u>ः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 107/2016 (2016/00049) बउनवानी जगदीश बनाम नन्दू व अन्य को स्वीकार किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, माण्डल द्वारा अपील संख्या 11/2014 बउनवान नन्दू बनाम श्रीराम में पारित निर्णय दिनांक 22.6.2015 को अपास्त किया जाता है तथा नामांतकरण संख्या 238 दिनांक 26.5.1986 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 28.2.2018को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर